


CWS

944

MOST IMMEDIATE



F.No. DGTS/41/2017/  
Directorate General of Taxpayer Services  
C.R. Building, I.P. Estate  
New Delhi-110109

15 MAY 2017

\*\*\*

*[Handwritten signature]*  
26/5/17

Dated the 15<sup>th</sup> May, 2017

To:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax (All)  
The Chief Commissioner of Central Excise (All)  
The Chief Commissioner of Service Tax (All)

*[Handwritten signature]*

Ac (CCO)  
By 26/5

Madam/Sir,

मुख्य आयुक्त की विशेष प्राथमिकता CHIEF COMMISSIONER'S SPECIAL WATCH	
व./No.	दिनांक जारी/ DUE DATE
177	26/5/17

Kind attention is invited to an article on GST authored by Dr. Hasmukh Adhia, Revenue Secretary and recently published in Dainik Jagran newspaper. A copy of the article in Hindi is enclosed for your information. The article is very informative and will help the general public and the trade and industry to understand the concept, features and benefits of GST and dispel any misconceptions on GST.

- Chairman, CBEC desires that the above article may be translated in important local languages and given for publishing to various local newspapers and magazines in your zone.
- A report with copies of the published articles may be forwarded to me on 30<sup>th</sup> May and 16<sup>th</sup> June, 2017.

Encl: As above

Yours faithfully,

*[Handwritten signature]*

(Vinay Chhabra)  
Director General (DGTS)

## जीएसटी

### हसमुख अढिया

जीएसटी को लेकर पूरे देश में एक उत्सुकता है। लोग ये समझना चाहते हैं कि जीएसटी आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार क्यों माना जाता है? इस लेख द्वारा मैं जीएसटी के स्वरूप, जीएसटी के कुछ फायदे और जीएसटी में टैक्स की वसूली और रिटर्न भरने की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में कुछ बिंदु प्रस्तुत करूंगा।

आज केन्द्र सरकार द्वारा कई अलग-अलग वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क वगैरह नाम से अलग-अलग टैक्स लगाए जाते हैं और सेवाओं के ऊपर सर्विस टैक्स (सेवा कर) लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वैट केन्द्रीय बिक्री कर, खरीद कर, मनोरंजन कर, लाटरी टैक्स, चुंगी कर (ऑक्टोराइ), प्रवेश कर वगैरह नाम से अलग-अलग टैक्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा केन्द्र और राज्य द्वारा अलग-अलग प्रकार के सेस या सरचार्ज (अधिभार) भी लगाया जाता है। जीएसटी में अब यह सब अलग-अलग कर निकल जाएगा और सिर्फ एक टैक्स जीएसटी लगेगा जो हर वस्तुओं एवं सेवा के ऊपर लगेगा। एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी का टैक्स रेट होगा वो पूरे भारत में एक ही दर रहेगा।

बड़ी संख्या में केन्द्र और राज्यों के द्वारा लगाए जा रहे करों को मिलाकर अकेला एक कर बना दिए जाने से अनेकानेक कर और दोहरे कराधान की समस्या हल हो जाएगी और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। उपभोक्ता की दृष्टि से देखें तो, सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वस्तुओं पर लगने वाले कर के बोझ में कमी आ सकेगी। आज यह कर बोझ 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के लगभग है। जीएसटी के लागू किए जाने से भारतीय उत्पादक घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इससे आर्थिक विकास पर भी बहुत उत्साहजनक प्रभाव पड़ेगा।

संविधान में जीएसटी मसले में (रेट सहित) सभी महत्व के बिंदु पर महत्वपूर्ण मसले के ऊपर निर्णय लेने के लिए पूरा अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिया है। काउंसिल की मीटिंग में अभी तक जो निर्णय हुए हैं उसमें मुख्य निर्णय ये हैं कि सब वस्तुओं को 4 रेट में से किसी एक रेट का टैक्स लगेगा- 5%, 12%, 18%, 28% । इसके अलावा कुछ वस्तु एवं सेवा ऐसी होंगी

जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि वो छूट प्राप्त लिस्ट की आइटम होगी। सोचां दी और उससे बने आभूषण के ऊपर एक विशेष रेट होगा जो अभी निश्चित करना बाकी है। एक्सपोर्ट करने वाले आइटम में जो भी टैक्स देश के अंदर चुकाया होगा उसका पूरा रिफंड मिलेगा। आयात की गई वस्तु पर कस्टम ड्यूटी के अलावा उतना ही जीएसटी लगेगा जितना देश के अंदर जीएसटी उस वस्तु के लिए है। जीएसटी लागू करने के बाद व्यापारियों को और उत्पादकों को अब एक ही टैक्स की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा फायदा छोटे व्यापारियों को दिया गया है; अभी देश के ज्यादातर राज्य में 10 लाख से ऊपर वाले व्यापारियों को वैट भरना पड़ता है। जीएसटी में विशेष कटेगरी के पहाड़ी इलाकों वाले राज्य को छोड़कर बाकी सब राज्यों में ये लिमिट 20 लाख की कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यापारी का वार्षिक टर्न-ओवर 10 लाख से 20 लाख के बीच में था उसे भी अब कोई टैक्स नहीं देना होगा और न ही उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। अभी वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज नम्बर जिसके पास है उनमें से ज्यादातर लोगों का पंजीकरण जीएसटी प्रक्रिया में हो चुका है।

जीएसटी में हर व्यापारी को महीने में एक बार मुख्य रिटर्न भरना होगा और अपनी टैक्स की अदायगी करनी होगी। किसी भी माल या सेवा के ऊपर जो भी टैक्स चुकाना है, उसमें से खरीदारी पर लगा जो टैक्स भर दिया गया है उसकी पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट हर व्यापारी को ऑटोमेटिक मिलेगी। रिटर्न फाइल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर आप अपने हिसाब-किताब जीएसटीएन द्वारा दी गई एक्सेल शीट में रखेंगे तो हर महीने वही हिसाब-किताब अपने आप ऑफलाइन टूल की मदद से रिटर्न में परिवर्तित हो जाएगा।

अगर कोई व्यापारी अपना पूरा सामान सिर्फ खुदरा ग्राहकों को बेचता है (बी-टू-सी) तो ऐसे व्यापारी का रिटर्न बहुत ही सरल होगा जिसमें रेट-वाइज टर्न-ओवर दिखाना होगा। अगर कोई व्यापारी जो कम्पोजीशन स्कीम का लाभ उठाता है और जिनका टर्न-ओवर 50 लाख से कम है ऐसे व्यापारी द्वारा हर महीने में नहीं, परंतु 3 माह में रिटर्न भरना होगा जिसमें अपना टोटल टर्न-ओवर में दिखाना होगा।

जो व्यापारी बिजनेस-टू-बिजनेस (बी-टू-बी) माल बेच रहे हैं उनको अपने बिक्री की हर इनवाइस की पूरी डिटेल्स रिटर्न में देनी होगी। हर व्यापारी जब अपनी सेल्स (बिक्री) की डिटेल्स महीने की 10 तारीख तक जीएसटी के वेबसाइट पर रिटर्न के फॉर्म में डाल देगा तो उसके द्वारा कि गयी खरीदारी की पूरी डिटेल्स अपने आप उसके खरीदारों को अपनी जीएसटीआर-2 (जीएसटी

ऑनलाइन अकाउंट) में दिख जाएगी, यानी कि ऑटो-पायुलेट हो जाएगी। खरीदार व्यापारी द्वारा उसको देखकर, ठीक है तो उसको क्लिक करने से व्यापारी का पूरा रिटर्न कम्प्यूटर में ही उनके सामने आ जाएगा। जिसे स्वीकृत करने के लिए क्लिक करने से व्यापारी की टैक्स लायबिलिटी एवं इनपुट-टैक्स-क्रेडिट की पूरी डिटेल्ड जीएसटी सिस्टम द्वारा स्वतः तैयार कर नेट टैक्स लायबिलिटी के साथ दिखाई जाएगी। टैक्स लायबिलिटी एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच का अंतर, व्यापारी को भरना होगा। टैक्स ऑनलाइन या बैंक में जमा करनी होगी। उसके पश्चात व्यापारी को महीने की 20 तारीख तक कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-3 को क्लिक करके सबमिट करना होगा।

बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसको हम कहते हैं इनपुट-टैक्स-क्रेडिट रिवर्सल यानी कि जो आप को इनपुट-टैक्स-क्रेडिट मिली है उसको लौटाने का काम। इसके बारे में काफी लोगों ने चिंता जताई है, लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया को आप समझेंगे तो इसका पूरा समर्थन करेंगे। जैसे मैंने आगे समझाया कि आपने जिससे माल खरीदा है उन्होंने वो ट्रांजेक्शन अपने रिटर्न में महीने की 10 तारीख तक दिखा दिया है तो आप को इनपुट-टैक्स-क्रेडिट मिल जाएगी। मान लो वो आपको माल बेचने वाला व्यक्ति उस इनवाइस को अपने रिटर्न में नहीं डालता है तो भी आप को एक भौका मिलेगा कि आप उसको अपने जीएसटीआर-2 रिटर्न में महीने की 15 तारीख तक दिखा दें और ऐसा करने से उस महीने में आप को आपके कहने पर पूरी इनपुट-टैक्स-क्रेडिट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको उस व्यापारी से सम्पर्क करना है और उसको समझाना है कि वह उस ट्रांजेक्शन को अपने रिटर्न में दिखाए ताकि आप को जो इनपुट-टैक्स-क्रेडिट मिल गया है उसका रिवर्सल अगले महीने में नहीं करना पड़ेगा। आपको इसके लिए पूरे 30 दिन का समय मिलेगा और उसके बावजूद अगर आपको माल बेचने वाला व्यापारी इस ट्रांजेक्शन को स्वीकार नहीं करता है और अपने रिटर्न में नहीं दिखाता है, तब अगले महीने आपकी टैक्स रिटर्न में ये इनपुट-टैक्स-क्रेडिट जो आपको मिल चुकी थी उसको रिवर्स किया जाएगा। हर व्यापारी का ये फर्ज है कि ऐसे ही व्यापारियों के साथ व्यवहार करे जो कि आप से टैक्स वसूल करने के बाद सरकार में इसको जमा करवाए। हर एक व्यापारियों के डिफाल्ट के आधार पर उनको एक कम्प्लायंस रेटिंग भी दिया जाएगा जिसको अन्य सभी व्यापारी देख सकेंगे। ताकि बार-बार डिफाल्ट करने वाले व्यापारी से व्यापार करने में आप सचेत रहें।

# **HOW GOODS AND SERVICE TAX WILL BENEFIT THE NATION**

By Hasmukh Adhia

After a long wait of 10 years, the goods and services tax (GST) is now a reality. Most of the work required for implementation of GST from July 1 has been completed. Trade and industry outreach programmes are in full swing. It is time now to reflect on the possible benefits of this new tax regime to trade and industry, to consumers, to the government and to the entire economy.

The prime benefit of GST is that India will become a common market. One product or service will have a single tax rate in any part of the country. The multiplicity of taxes on the same commodity or service will now go.

No more taxes that are barriers to industry such as octroi or entry tax. This obviously means that trade and industry will have a much lesser compliance burden compared with the current regime in which they have to file different returns with different authorities for different taxes. The consumers also would better understand the total incidence of tax on the product or the service they are buying.

The total incidence of taxation on a product or service is likely to come down for most items. This will happen because of the removal of cascading of taxation, and availability of seamless flow of credit across the value chain. If goods are produced in which services are used, the input tax credit of taxes paid on services will be available and vice versa.

Also, there is a provision in the GST law that, by chance, if taxes paid on the inputs are more than the tax rate of the output liability, refunds will also be given except in certain items such as work contracts. Such a scientific system of taxation removes all hidden taxes and brings down the overall burden of taxes. This will benefit consumers immensely.

GST is going to be a big milestone for Make in India also. Today, when goods are imported, there is a levy of countervailing duty (CVD), which is equivalent to excise duty paid by the domestic manufacturers of the same product. In many cases, there are CVD exemptions even where local goods attracted excise duty. Under GST, all these exemptions will go away.

Also, while local manufacturers of goods pay full value added tax (VAT) in addition to excise, imported goods attract only 4 per cent special additional duty. This also gave negative protection to domestic manufacturers of goods.

Under the GST regime, all goods that are imported will pay the full rate of central+state GST in

the form of integrated or IGST. That will provide a complete level playing field to domestic manufacturers vis-à-vis imported goods. Of course, importers can use this IGST credit to discharge their liability for CGST and SGST when the same goods are sold within the country.

Also, GST is likely to promote exports from India. When goods are exported, the taxes paid on those products within the country are supposed to be fully refunded. While there is a system of duty drawback today by which central taxes paid on exported items are refunded, the same is not true of VAT paid on the inputs of exported items.

There are many states that either do not refund VAT paid on exports or give such refunds after one or two years. Under the new GST regime, the entire refund of CGST or SGST paid on inputs of exported items will be fully paid by a single authority--either the state government or the central government.

It is also decided that 90 per cent of refunds will be given provisionally within seven days of receiving the complete application for online refunds. Also, for special economic zones (SEZs), there is a provision to bring goods from abroad or from domestic tariff area without payment of IGST. This means that as far as SEZs are concerned, there will be no blockage of working capital. With exports being boosted, Make in India will also get a big lift.

GST, being an end-to-end IT-enabled tax system, is expected to bring buoyancy to government revenue. This will happen because of the attraction of taking input tax credit by purchasing goods from registered dealers, which will incentivise everyone to come into the tax net. Also, there will be a reduction in refund frauds or input tax frauds because of invoice-wise matching of B2B transactions.

A question is raised by many--'How is it possible that consumers will pay less under GST and the government will also gain?' They say that if the government is gaining, obviously the consumers will pay more! Let me explain this properly. Today there are dealers who try to remain outside the tax chain and pocket the benefits of taxes not paid while keeping the consumer price the same as tax-paid goods.

These traders are pocketing the benefits of tax evasion while the government is deprived of revenue and consumers are also not benefited.

When this activity of tax theft will go away under GST, both consumers as well as the government will gain. So basically, the extra revenue of the government will not come from the consumers' pocket but from reduction of tax theft.

*(Hasmukh Adhia is the Revenue Secretary, Government of India)*